दिनांक 27.06.2025
प्रेस विज्ञप्ति 47 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा पुलिस कर्मियों के आश्रित परिजनों को पुलिस सैलरी पैकेज के अन्तर्गत चेक प्रदान किया गया।

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनॉकः 27.06.2025 को मृत मुख्य आरक्षी दुर्गेश कुमार सिंह, आरक्षी जितेन्द्र पाल, आरक्षी वीरेन्द्र कुमार सरोज, फालवर बृजेश कुमार के शोक संतप्त आश्रित परिजनों को बैंक ऑफ बड़ौदा, पुलिस सैलरी पैकेज (PSP) के अंतर्गत धनराशि के रूप में चेक प्रदान किया गया।

बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा मृत आरक्षी जितेन्द्र पाल के परिजन को पुलिस सेलरी पैकेज (PSP) के अंतर्गत 01 करोड़ 95 लाख और मुख्य आरक्षी दुर्गेश कुमार सिंह, आरक्षी वीरेन्द्र कुमार सरोज, फालवर बृजेश कुमार को 01 करोड़ 70 लाख रूपये के चेक प्रदान किये गये।

उल्लेखनीय है कि आरक्षी जितेन्द्र पाल जनपद बरेली में नियुक्त थे, जिनकी ट्रैक्टर ट्राली द्वारा इनके मोटर साइकिल में टक्कर मारने से दिनॉकः12.12.2024 को मृत्यु हो गयी थी। मुख्य आरक्षी दुर्गेश कुमार सिंह जनपद जौनपुर में नियुक्त थे, जिनको गो तस्करों द्वारा ड्यिूटी के दौरान वाहन रोकते समय कुचल दिया गया था, जिनकी उपचार के दौरान दिनॉकः 18.05.2025 को मृत्यु हो गयी थी। आरक्षी वीरेन्द्र कुमार सरोज जनपद फतेहपुर में नियुक्त थे, जिनकी महाकुम्भ मेला में ड्यिूटी समाप्त होने के उपरान्त अपने नियुक्ति जनपद फतेहपुर वापस जाते समय डम्पर द्वारा टक्कर मारने से दिनॉकः 05.03.2025 को मृत्यु हो गयी थी। फालवर बृजेश कुमार जनपद सिद्धार्थनगर में नियुक्त थे, जिनकी मोटर साइकिल में पीछे पिकअप वाहन द्वारा टक्कर मारने से दिनॉकः 10.11.2024 को मृत्यु हो गयी थी।

इस अवसर पर श्री आनन्द स्वरूप अपर पुलिस महानिदेशक पीएचक्यू, श्री एन0 रविन्दर अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जीएसओ, श्री आर0के0 भारद्वाज पुलिस महानिरीक्षक पुलिस भवन कल्याण, श्री प्रतीक अग्निहोत्री जनरल मैनेजर बैक ऑफ बड़ौदा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहें।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
CBS
Pay
स्वर्गीय जितेंद्र पाल (हेड कांस्टेबल, हाफिजगंज बरेली)
Rupees
एक करोड़ पंचानबे लाख मात्र
₹ 1,95,00,000/-
Or Bearer
BANK OF BARODA
Please Sign Above
A/c No.
XXXXXXXXXXXXXX

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
CBS
Pay
स्वर्गीय दुर्गेश कुमार सिंह (हेड कांस्टेबल, जौनपुर)
Rupees
एक करोड़ सत्तर लाख मात्र
₹ 1,70,00,000/-
Or Bearer
BANK OF BARODA
Please Sign Above
A/c No.
XXXXXXXXXXXXXX

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
जारी की गई तारीख से तीन माह के लिए वैध / VALID FOR THREE MONTHS THE DATE OF ISSUE
CBS
चालू खाता / CURRENT ACCOUNT
Pay
स्वर्गीय वीरेन्द्र कुमार सरोज (कांस्टेबल, फतेहपुर)
Or Bearer
या धारक को
Rupees रुपये
एक करोड़ सत्तर लाख मात्र
₹ 1,70,00,000/-
अदा करें
BANK OF BARODA
Please Sign Above
खा.सं.
A/c No.
XXXXXXXXXXXXXX
II"000000II" 000000000 I 0000 I : 00000000" 00

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
जारी की गई तारीख से तीन माह के लिए वैध / VALID FOR THREE MONTHS THE DATE OF ISSUE
CBS
चालू खाता / CURRENT ACCOUNT
Pay
स्वर्गीय बृजेश कुमार (फॉलोअर, सिद्धार्थ नगर)
Or Bearer
या धारक को
Rupees रुपये
एक करोड़ सत्तर लाख मात्र
₹ 1,70,00,000/-
अदा करें
BANK OF BARODA
Please Sign Above
खा.सं.
A/c No.
XXXXXXXXXXXXXX
II"000000II" 000000000 I 0000 I : 00000000" 00

दिनांक 27.06.2025
प्रेस विज्ञप्ति 48/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

एस0टीएफ0–जनपद प्रतापगढ़ से रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त महफूज उर्फ महफूज रहमान प्रयागराज से गिरफ्तार।

दिनांकः 27–06–2025 को एस0टीएफ0 उत्तर प्रदेश को थाना पटटी, जनपद प्रतापगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 179/2025 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 61(2), 109(1), 351(3) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त महफूज रहमान को प्रयागराज से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

महफूज उर्फ महफूज रहमान पुत्र मुईजुर्रहमान निवासी पूरे देव जानी थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय–

प्रयागराज–वाराणसी हाईवे पर प्रतापगढ कट के पास दिनांक 27–06–2025 समय करीब 12:30 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ द्वारा वांछित एवं पुरस्कार घोषित सक्रिय अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु एस0टी0एफ0 उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/फील्ड इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री दिनेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, लखनऊ के पर्यवेक्षण व निरीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 राहुल परमार व आरक्षी सत्यम यादव द्वारा अभिसूचना संकलन की जा रही थी

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि थाना पटटी, जनपद प्रतापगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 179/2025 में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त महफूज उर्फ महफूज रहामन प्रयागराज से प्रतापगढ़ जाने वाला है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा प्रयागराज–वाराणसी हाईवे थाना क्षेत्र सोराव, प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त महफूज उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि वर्ष 2021 में आपसी रंजिश में नबाव से पहली बार झगडा हुआ था, जिसके बाद से उसकी और नबाव में आपसी रंजिष चली आ रही हैं। दिनांक 17–06–2025 को नबाव और उसके साथियो द्वारा फोन पर जान से मारने धमकी देकर गाली गलौज किया गया, जिसका बदला लेने के लिये उसी दिन करौल बाजार में मेरे व मेरे साथियो द्वारा नबाव के साथ मारपीट व फायरिंग की गयी थी, जिसमें 04 लोग घायल हुए थे। इस घटना के सम्बन्ध में थाना पटटी, जनपद प्रतापगढ़ में अभियोग पंजीकृत हुआ था। घटना के बाद से ही यह फरार चल रहा था, जिसके गिरफ्तारी हेतु रू0 पचास हजार का पुरस्कार घोषित किया गया था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः</u>

1– मु0अ0सं0 141/2021 धारा 188/269/270 भादवि व 51 आपदा प्रबन्धन अधि0 थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ।

2– मु0अ0सं0 179/2025 धारा 191(2),191(3),190,115(2),61(2),109(1),351(3) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट थाना पटटी जनपद प्रतापगढ।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना पटटी जनपद प्रतापगढ, में दाखिल किया गया, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

<u>एस0टी0एफ0–अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, 384 कि0ग्रा0 गॉजा (अर्न्तराष्ट्रीय कीमत लगभग 96 लाख) बरामद।</u>

दिनॉकः 27–06–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 384 किलोग्राम गॉजा (अर्न्तराष्ट्रीय कीमत लगभग 96 लाख) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः</u>

1– नोमान पुत्र महमूद निवासी ग्राम गोहपुर, थाना हतीन, जनपद–पलवल, हरियाणा।

2— अकरम खान पुत्र हारून निवासी राधानगरी, अकाटा, भरतपुर, राजस्थान।

3— रवि मिश्रा पुत्र रामअभिलाष मिश्रा निवासी खिरौरा मोहन, थाना कोतवाली देहात, गोण्डा।

बरामदगीः

1— 384 कि0ग्रा0 अवैध गांजा। (अर्न्तराष्ट्रीय कीमत लगभग 96 लाख)

2— 01 अदद कण्टेनर नं0 आरजे 11 जीबी 8224

3— 03 अदद मोबाइल फोन।

4— 01 अदद आधार कार्ड।

5— 01 अदद एटीएम कार्ड।

6— 01 अदद डीएल।

7— रूपये 2,000/नकद।

गिरफ्तारी का दिनांक/समय व स्थानः—

दिनाँक—27—06—2025 समय 12.12 बजे। भदईया ब्लाक के सामने, थाना क्षेत्र कोतवाली देहात, सुलतानपुर।

विगत कुछ दिनों से एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को उडीसा, आन्ध्र प्रदेष आदि राज्यों से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले शातिर तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री दिनेष कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में उ0नि0 श्री अमित कुमार तिवारी के नेतृत्व में उ0नि0 विद्यासागर, मु0आ0 अमित कुमार सिंह, स्वरूप पाण्डेय, चालक षिववीर एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ की एक टीम जनपद सुलतानपुर में भ्रमणषील थी। इस दौरान मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि कुछ लोग कण्टेनर में उड़ीसा राज्य से अवैध मादक पदार्थ (गॉजा) की बड़ी खेप लेकर बहराईच जाने वाले है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा क्षेत्राधिकारी लम्भुआ व स्थानीय पुलिस को साथ लेकर भदईया ब्लाक के सामने, थाना क्षेत्र कोतवाली देहात, सुलतानपुर से 03 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त रवि मिश्र ने पूछताछ पर बताया कि उसका एक संगठित गिरोह है, जो बड़े पैमाने पर मादक पदार्थ (गांजा) की तस्करी करता है। इस गिरोह का सरगना यह स्वयं है एवं इसका पार्टनर राहुल निवासी बहराईच है। राहुल ने कन्टेनर चालक नोमान से सम्पर्क करके पेपर रोल के बीच में सोनपुर उडीसा से गॉजा लोड कराया था। जिसे बहराईच में उतारना था एवं पेपर रोल दिल्ली में पहॅुचाना था। कन्टेनर चालक नोमान को रूपये 800/– प्रति किग्रा के हिसाब से पैसा देता है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कोतवाली देहात, जनपद–सुलतानपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

ए0एन0टी0एफ0–दिनांक 26.06.2025 को ए0एन0टी0एफ0 ऑपरेशनल यूनिट वाराणसी व एएनटीएफ थाना गाजीपुर की संयुक्त टीम द्वारा अवैध हेरोईन की तस्करी कर रहे, गिराह के 01 सक्रिय तस्कर को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 230 ग्राम अवैध हेरोईन (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 40 लाख 50 हजार रुपये) व 1250/– रूपये बरामद किया गया ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0 लखनऊ, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध उ0प्र0 लखनऊ के मार्गदर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशन व पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) ए0एन0टी0एफ0 मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ के नेतृत्व में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपाधीक्षक श्री राजकुमार त्रिपाठी ए0एन0टी0एफ0 ऑपरेशनल यूनिट वाराणसी के पर्यवेक्षण में ए.एन.टी.एफ. ऑपरेशनल यूनिट वाराणसी/ए.एन.टी.एफ. थाना गाजीपुर की संयुक्त टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 सक्रिय तस्कर 1–छोटेलाल राजभर पुत्र स्व0 पन्नालाल निवासी धरहरा पन्डापुर (दत्ता मिश्र का पुरा) थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी को दिनांक 26.06.2025 को समय करीब 13.55 बजे ग्राम धरहरा पन्डापुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 230 ग्राम अवैध हेरोईन

(अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 40 लाख 50 हजार रुपये) व 1,250/– रूपये नगद बरामद किया गया। इस सम्बन्ध में थाना चौबेपुर, जनपद वाराणसी में मु0अ0सं0 418/2025 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट, 1985 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण –गिरफ्तार शुदा अभियुक्त छोटेलाल राजभर द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा स्थानीय स्तर से हेरोईन खरीद कर, अपने घर पर ही छोटी–छोटी पुडिया बनाकर आस–पास के गाँवों व जनपदों में बेच कर धन कमाया जाता है। अभियुक्त से अग्रिम पूछताछ की जा रही है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण –

1–छोटेलाल राजभर पुत्र स्व0 पन्नालाल निवासी धरहरा पन्डापुर (दत्ता मिश्र का पुरा) थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी

नाम गिरफ्तारी का दिनांक/समय/स्थान

दिनांक– 26.06.2025 समय– 13.55 बजे, स्थान– अभियुक्त मकान का, ग्राम धरहरा थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी

बरामदगी का विवरण–

1– 230 ग्राम अवैध मादक पदार्थ हेरोईन (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 40 लाख 50 हजार रुपये)

2– 1250/– रूपये नकद

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण–

1– उ0नि0 श्री आदित्यनारायण सिंह ए0एन0टी0एफ0 थाना गाजीपुर ।

2– मु0आ0 इन्द्रजीत कुमार ए0एन0टी0एफ0 ऑपरेशनल यूनिट वाराणसी ।

3– मु0आ0 सचिन कुशवाहा ए0एन0टी0एफ0 ऑपरेशनल यूनिट वाराणसी ।

4– मु0आ0 अभिषेक कुमार ए0एन0टी0एफ0 ऑपरेशनल यूनिट वाराणसी ।

5– का0 आशुतोष कुमार त्रिपाठी ए0एन0टी0एफ0 ऑपरेशनल यूनिट वाराणसी ।

6– आ0 इन्द्रपाल सिंह ए0एन0टी0एफ0 थाना गाजीपुर ।

7– आ0 अजीत कुमार ए0एन0टी0एफ0 थाना गाजीपुर ।

सहयोगार्थ थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी पुलिस टीम

1– हे0का0 अखिलेश सरोज थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी ।

2– का0 सचिन गोस्वामी थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी ।

जनपद हाथरस/थाना हाथरस गेट

- **पुलिस कार्यवाही में 01 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 लाइसेन्सी रिवाल्वर**
- **03 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 26.06.2025 को थाना हाथरस गेट व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नयाबास अहबरनपुर रोड़ के पास बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। बदमाश द्वारा की गई फायरिंग में एक आरक्षी घायल हो गया। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त गुलशन उर्फ लुक्का घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 लाइसेन्सी रिवाल्वर, 03 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना हाथरस गेट पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जोन स्तर से 01 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना हाथरस गेट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गुलशन उर्फ लुक्का निवासी कस्बा सादाबाद व थाना सादाबाद जनपद हाथरस।

बरामदगी

1–चोरी की 01 लाइसेन्सी रिवाल्वर।

2–03 खोखा कारतूस।

3–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

जनपद महोबा/थाना थाना अजनर

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 03 लाख 10 हजार रूपये नगद**
- **लूट के रूपये से क्रय 02 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 27.06.2025 को थाना अजनर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम सीगौन से दौरिया जाने वाले रास्ते पर बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–राकेश कुमार उर्फ रक्कू घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–मदन 3–लक्ष्मण सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 03 लाख 10 हजार रूपये नगद, लूट के रूपये से क्रय 02 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 09.06.2025 को थाना अजनर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना अजनर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया आदि लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना अजनर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राकेश कुमार उर्फ रक्कू निवासी ग्राम दैरिया थाना नौगांव जनपद छतरपुर मध्यप्रदेश।

2–मदन निवासी ग्राम दैरिया थाना नौगांव जनपद छतरपुर मध्यप्रदेश।

3–लक्ष्मण निवासी ग्राम दैरिया थाना नौगांव जनपद छतरपुर मध्यप्रदेश।

बरामदगी

1—लूट के 03 लाख 10 हजार रूपये नगद।

2—लूट के रूपये से क्रय 02 मोबाइल फोन।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना मलिहाबाद

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **14 निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **118 जीवित, 41 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **नगद रूपये**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 27.06.2025 को थाना मलिहाबाद व थाना रहीमाबाद की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिनेमा हाल के पास से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे अभियुक्त सलाऊद्दीन उर्फ लाला को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 14 निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 118 जीवित, 41 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, नगद रूपये, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना मलिहाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सलाऊद्दीन उर्फ लाला निवासी निकट पिक्चर हाल तिराहा मिर्जागंज कस्बा व थाना मलिहाबाद कमिश्नरेट लखनऊ।

बरामदगी

1—14 निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2—118 जीवित, 41 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

3—नगद रूपये।

4—अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

———————